

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 9/2021- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 699(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“86.	1209	बीज, फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं है।”;
------	------	---

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 713 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 9/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for S. No. 86 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries thereto shall be substituted, namely: -

“86.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing <i>Explanation:</i> This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing.”;
------	------	--

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No.2/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended vide notification No. 15/2019- Integrated Tax (Rate) dated the 30th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 713(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 10/2021- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 700(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3क	3301 24 00, 3301 25 10, 3301 25 20, 3301 25 30, 3301 25 40	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल, यथा:- क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिता); ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉर्समिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट)।	कोई अपंजीकृत व्यक्ति	कोई पंजीकृत व्यक्ति।”;
-----	--	---	----------------------	------------------------

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 मई, 2018, जिसे सा.का.नि. 506(अ), दिनांक 28 मई, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 10/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 700(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 669(E), dated the 28th June, 2017, namely:-